


05 ⁰⁷/₂₀₂₃

पत्रावली पेश हुई अखिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित।
वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादा (अउन्टर ब्लिग) प्रस्तुत
किया जिसकी एक प्रति वकील वादी को दिवारी
गरी अउन्टर ब्लिग शाब्दिक किया गया। पत्रावली
वास्तु जवाब अउन्टर ब्लिग व जवाब परेकार
सरकार दिनांक 10/08/2023 को पेश है।


S.V.O.

10 ⁰⁸/₂₀₂₃

पत्रावली पेश हुई अखिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित।
वकील वादी द्वारा जवाब अउन्टर ब्लिग पेश करने
का अवसर -वाहा जो दिया जाता है पत्रावली
वास्तु जवाब अउन्टर ब्लिग व जवाब परेकार
सरकार दिनांक 19/09/2023 को पेश है।


S.V.O.

19 ⁰⁹/₂₀₂₃

पत्रावली पेश हुई अखिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित।
वादी व प्रतिवादी न्यायालय में स्वयं उपस्थित वादी
द्वारा पत्रावली में राजीनामा होने से अग्रिम कार्यवाही
नहीं। अग्रिम कार्यवाही का पत्र शाब्दिक किया। पत्रावली
शामिल कर लिया गया। वादी व प्रतिवादी के
न्यायालय में उपस्थित होने आपसी राजीनामा होने
के कार्यवाही नहीं चलने का विवेक किया। पत्रावली
का अवलोकन किया। उभय पक्ष को सुना। मन्त
किया गया। वादी द्वारा पत्रावली में अग्रिम कार्य
कार्यवाही नहीं चलने से वाद-पत्र को इसी स्तर पर
पर खरीज किया जाता है पत्रावली केवल सुभार
लेकर मन्वर से पत्र की जाकर शामिल कर ली।

वादी/प्रतिवादी
राजीनामा
होने से
अग्रिम कार्यवाही
नहीं चलने
का विवेक
किया गया।





उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चि. ल. इकाई)